# NOTE FOR JUSTIFICATION

**परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी अन्तर्गत प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल रुपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40=120 मेगावॉट) जल विद्युत परियोजना (29.997 हैक्टेयर) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

जनपद पिथौरागढ उत्तराखण्ड राज्य के अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुडा हुआ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित सिरकारी भ्यौल जल विद्युत परियोजना (क्षमता 3X40=120 मेगावॉट) गोरी गंगा नदी पर प्रस्तावित एक रन ऑफ दि रिवर जल विद्युत परियोजना है, जो कि पिथौरागढ जिले के तहसील मुनस्यारी में स्थित है। गोरी गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है जिस पर साल भर पानी उपलब्ध रहता है।

बैराज स्थल गोरी नदी के दाहिने किनारे पर जौलछिद्दा गाड़ व गोरी नदी के संगम से लगभग 470 मी0 की दूरी पर प्रस्तावित है, भूमिगत पावर हाउस (क्षमता 3X40=120 मेगावॉट) रुपसिया बगड़ नामक स्थान के पास प्रस्तावित है।

80 मीटर लम्बे गेटेड बैराज जिसमें 1 अन्डर स्लुइस और 4 स्पिलवे दर्रे हैं, जिनमें रेडियल फाटक (14.00X9.00 मीटर) के लगाये जायेगें। बैराज का परिकल्पन 2501 क्यूमेक प्रवाहित किया गया है। इन्टेक संरचना 3 मीटर व्यास की दो फीडर सुरंग सहित है। गाद कण को बाहर करने के लिये दो भूमिगत डिसिल्टिगं चैम्बर (9X12X150 मीटर) लगाये गये हैं एवं 4.2 मीटर व्यास की 1316.3 किलोमीटर लम्बी हेडरेस सुरंग 8 मीटर व्यास का ओरिफिस सर्ज शाफ्ट व 3.4 मीटर व्यास का स्टील लाइनेट प्रेसर शाफ्ट/पेनस्टाक पाइप (तीन शाखाओं में विभाजित), भूमिगत पावर हाउस 3X40 मेगावाट वर्टिकल फ्रासिंस टरबाइन प्रस्तावित है।

परियोजना से प्रतिवर्ष 529.12 एम0यू0 बिजली उत्पादित होने का अनुमान है। परियोजना की कुल लागत रुपया 879.43 लाख है एवं इससे उत्पादित बिजली की दर 3.31/यूनिट है।

उपरोक्त परियोजना एक नवीकरणीय उर्जा परियोजना है। परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने में किया जायेगा। तहसील मुनस्यारी एवं जनपद पिथौरागढ के सुदूर गांव में विद्युतीकरण करने में इस उत्पादित बिजली का उपयोग किया जायेगा। परियोजना बनने से क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा और बिजली की उपलब्धता होने पर उद्योग–धन्धों का विकास होना निश्चित है।

प्रस्तावित समरेखण वन पंचायत भूमि एवं सिविल बेनाप भूमि से होकर गुजरता है एवं अन्य किसी श्रेणी की भूमि इस समरेखण से प्रभावित नही होती है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, मन्दिर, कब्रिस्तान का भाग नही पडता है।

इस परियोजना निर्माण के समरेखण में नाप भूमि 0.00 है0, सिविल बेनाप भूमि 8.562 है0 तथा वन पंचायत भूमि 21.435 है0 एवं आरक्षित भूमि 0.00 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतू वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ ही प्रस्तावित समरेखण को अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है जिसमें उक्त समरेखण में परियोजना का निर्माण, तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है (प्रति संलग्न)।

इस परियोजना में आने वाली वन पंचायत भूमि 21.435 है0 एवं सिविल बेनाप भूमि 8.562 है0 भूमि, कुल 29.997 है0 वन भूमि यू0जे0वी0एन0 लिमिटेड को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

| | | |
|---|---|---|
| अवर अभियन्ता<br>यू0 जे0 वी0 एन0 लिमिटेड<br>मुनस्यारी | सहायक अभियन्ता<br>यू0 जे0 वी0 एन0 लिमिटेड<br>मुनस्यारी | अधिशासी अभियन्ता<br>यू0 जे0 वी0 एन0 लिमिटेड<br>मुनस्यारी |